रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

दावा आवेदन संख्या – ओ.ए.।(यू)/जेपी/24/2020

दावा पंजिकरण तिथि : **06.02.2020**

निर्णय तिथि : **14.08.2025**

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 नरेश शाह आयु लगभग 41 वर्ष।

निवासी यान– ग्राम व पोस्ट बाभन गांव, वार्ड संख्या 6, जिला खगड़िया, बिहार पिन 851204

.....प्रार्थिया/आवेदिका

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नम्रमा शर्मा।

प्रतिप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खेम चन्द्र शर्मा।

निर्णय

1. प्रार्थिया ने अपने पुत्र, की अनापेक्षित दुर्घटना में चलती ट्रेन से नीचे गिर जाने के कारण कुल 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) मय घटना की दिनाक 04.09.2019 से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल किया है।

2. **दावा याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार** दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स. के साधारण डिब्बे

Scanned with OKEN Scanner

मे कर रहा था। जब उक्त गाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन के पास कि.मी. संख्या 920/12 के पास से गुजर रही थी, तो मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक गाड़ी में झटका लगने एवं अन्य यात्रियों के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाड़ी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध मे थानाधिकारी, जी.आर.पी., कोटा द्वारा एक मर्ग संख्या 54/2019 दर्ज की गई परन्तु मर्ग संख्या 54/2019 मे घटना का विवरण किसी अन्य व्यक्ति का दर्ज किया गया है। उक्त मर्ग के अनुसार मृतक कि उम्र करीब 40–45 वर्ष अंकित की गई है जबकि मृतक कि उम्र करीब 23 वर्ष थी। उक्त मर्ग मे घटना का विवरण गलत दर्ज किया गया है, घटना का सही विवरण थानाधिकारी, जी.आर.पी., कोटा द्वारा मेडीकल ज्यूरिष्ट, एम.बी.एस. अस्पताल को लिखे पत्र मे अंकित किया गया है जिसके अनुसार मृतक रविकेश उर्फ रिक्की पुत्र नरेश, उम्र 23 साल कोटा रेलवे स्टेशन की दक्षिण दिशा किमी न. 920/12 पर किसी अज्ञात ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई है।

मृतक उक्त यात्रा अपने गांव जाने के लिए कर रहा था तथा मृतक आगे की यात्रा अन्य गाडी से करता परन्तु कोटा रेलवे स्टेशन के पास उक्त कारणवश सर्वोदय एक्स. से गिरने से मृतक की मृत्यु हो गई। मृतक के पिताजी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है। मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की ने दिनाक 04.09.2019 को अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा के लिए एक द्वितीय श्रेणी का साधारण यात्रा टिकट खरीदा था। उक्त घटना मे मृतक को गंभीर चोटें आई जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई जिससे यात्रा टिकिट कहीं खो गया या गुम गया। मृतक का पर्स एवं एक बैग भी इस घटना क्रम मे नही मिला, अगर यात्रा टिकिट पर्स या बैग के साथ चला गया हो तो या जी.आर.पी./आर.पी.एफ./सिटी पुलिस की अभिरक्षा मे हो तो उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही है। मृतक उक्त दिवस उक्त यात्री गाड़ी का वैध यात्री था।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे मेडिकल ज्यूरिष्ट, को लिखा पत्र, मर्ग रिपोर्ट 54/2019, स्टेशन मास्टर कोटा द्वारा एसओ, जीआरपी को लिखा पत्र, नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द सूरत हाल लाश, फर्द शिनाख्तगी लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान अब्दुल करार, सुनीता देवी, रूपेश, बीरबल शाह, राजीव कुमार, दीपक, कुन्दन कुमार, मृतक का पहचान पत्र, प्रार्थिया का आधार

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड, प्रमाणित प्रति, छायाप्रति बैंक पासबुक, को दस्तावेजो के रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रतिप्रार्थी ने अपना जवाबदावा मय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिप्रार्थी का कथन है दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे में कर रहा था। जब उक्त गाडी रेलवे स्टेशन के पास कि.मी. 920/12 के पास से गुजर रही थी तो मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक गाडी मे झटका लगने एवं अन्य यात्रियो के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाडी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई गलत व अस्वीकार है उक्त मद मे वर्णित तथ्यो को प्रार्थीया स्वयं सप्रमाण साबित करे। प्रार्थीया ने अपने क्लेम प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अकस्मात गाडी मे झटका लगने एवं अन्य यात्रियो के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाडी मे से नीचे गिर गया जबकि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे की गई जॉच एवं गवाही के कथनो से यह तथ्य सामने आये कि जीआरपी कोटा की पुलिस कार्यवाही मे मृतक के पास से कोई रेल यात्रा टिकिट नही मिला है और ना ही प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र मे रेल यात्रा से सम्बन्धित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया है। पुलिस रिर्पोट मे मृतक की मृत्यु रन ओवर का उल्लेख है तथा वर्णित गाडी के गार्ड श्री समित मजूमदार के बयान अनुसार गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान गाडी मे किसी भी प्रकार का झटका या जर्क आदि नही लगना बताया गाडी मे कोई एसीपी इत्यादि नही हुई और ना ही किसी यात्री के गिरने की सूचना गार्ड को किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई, उक्त घटना गार्ड की जानकारी मे नही है पुलिस को मृतक की जामा तलाशी के दौरान कोई बैग व टिकिट नही मिला तथा मृतक रविकेश उर्फ रिक्की की मृत्यु गाडी नम्बर 12475 (सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस) से हुई इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नही है। मृतक को रेल से यात्रा करते हुए एवं रेल से गिरने का कोई चश्मदीद गवाह सम्पूर्ण जांच रिर्पोट मे सामने नही आया है मृतक की बाडी कोटा स्टेशन के होम सिग्नल के पास मिली थी जो कि एक व्यस्त रेल स्टेशन है और कोई व्यक्ति गाडी से गिरता तो अन्य सहयात्रियो के द्वारा रेलकर्मी को अवश्य सूचना दी जाती उक्त दुर्घटना न तो किसी रेलकर्मी के संज्ञान मे आई कि मृतक चलती गाडी से गिरा है ना ही किसी ने घटना होते देखी इससे स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु रेल्वे गाडी से गिरकर नही बल्कि किसी रहस्मयी परिस्थिति से घटना घटित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे ईर्रेगुलर रेस्पिरेशन से होना दर्शाया है।

Scanned with OKEN Scanner

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे रेल से गिरकर मृत्यु होने का कथन नहीं किया है। अतः स्पष्ट साक्ष्य या चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति मे घटना धारा 123 (ग) रेल अधिनियम की श्रेणी मे नही आती हैं इस कारण घटना के लिए विपक्षी अप्रार्थी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता और ना ही प्रार्थीया क्लेम प्राप्त कर सकती है ऐसी स्थिति मे क्लेम याचिका सरासर गलत होने के कारण खारिज किये जाने काबिल है।

प्रार्थीया द्वारा उक्त पैरा मे यह जाहिर किया जाना कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे थानाधिकारी जी.आर.पी. कोटा द्वारा एक मर्ग सख्या-54/2019 दर्ज की गई परन्तु मर्ग संख्या-54/2019 मे घटना का विवरण किसी अन्य व्यक्ति का दर्ज किया गया है। उक्त मर्ग के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40-45 वर्ष अंकित की गई हैं जबकि मृतक की उम्र करीब 23 वर्ष थी। उक्त मर्ग मे घटना का विवरण गलत दर्ज किया गया है, घटना का सही विवरण थानाधिकारी जी.आर.पी. कोटा द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट, एम.बी. एस. अस्पताल को लिखे पत्र मे अंकित किया गया है जिसके अनुसार मृतक रविकेश उर्फ रिक्की पुत्र नरेश, उम्र 23 साल कोटा रेलवे स्टेशन की दक्षिण दिशा किमी नं 920/12 पर किसी अज्ञात ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई है गलत व अस्वीकार है तथा उक्त पैराग्राफ मे वर्णित तथ्य भिन विपक्षी से सम्बन्धित भी नही हैं इसलिए उक्त पैराग्राफ मे वर्णित तथ्य को प्रार्थीया स्वय अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र की मद सख्या-6 के उक्त पैराग्राफ मे यह जाहिर किया जाना कि मृतक उक्त यात्रा अपने गांव जाने के लिए कर रहा था तथा मृतक आगे की यात्रा अन्य गाडी से करता परन्तु कोटा रेलवे स्टेशन के पास उक्त कारणवश सर्वोदय एक्सप्रेस से गिरने से मृतक की मृत्यु हो गई। मृतक के पिताजी का पूर्व मे ही देहान्त हो चुका है उक्त पैराग्राफ में वर्णित मे अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अपने तथ्य जानकारी के अभाव प्रार्थनापत्र के उक्त पैराग्राफ मे मृतक द्वारा आगे की यात्रा अन्य गाडी से करने का अभिकथन किया गया है जिसके सम्बध मे प्रार्थीया ने स्पष्ट तौर से ना तो गाडी सख्या का और ना ही गाडी का नाम अंकित किया हैं इसलिए उक्त मद में वर्णित तथ्यो को प्रार्थीया स्वय मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे।

प्रार्थनापत्र का मद नम्बर-7 में वर्णित जिस प्रकार से वर्णित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया के पुत्र रविकेश उर्फ रिक्की द्वारा उक्त मद में वर्णित टिकिट खरीद किया जाना तथा उस टिकिट से यात्रा किये जाने के तथ्यो

Scanned with OKEN Scanner

को प्रार्थीया स्वयं दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से साबित करे। उक्त घटना की जॉच के दौरान मृतक के पास कोई भी यात्रा टिकिट अथवा अधिकार पत्र नही मिला और ना ही मृतक का ट्रेन मे बैठकर यात्रा करने व ट्रेन से गिरने बाबत कोई प्रत्यक्षदर्शी जॉच के दौरान नही आया है तथा प्रार्थीया द्वारा मृतक का पर्स व बेग घटना मे नही मिलने की कोई भी शिकायत व एफ.आई.आर. कही दर्ज करवाई हो इसका कोई प्रमाण क्लेम के साथ पेश नही किया है किसी भी प्रकरण मे प्रतिकर प्रदान करने के लिए वैध टिकिट सर्वप्रथम व आवश्यक शर्त होती है प्रार्थी ने अपने क्लेम प्रार्थनापत्र के साथ न तो कोई टिकिट पेश किया है और ना ही कोई साक्ष्य पेश की है जिसने मृतक को टिकिट खरीदते हुए देखा है उक्त समस्त तथ्य प्रार्थीया द्वारा मनगढन्त एवं बनावटी तथा क्लेम राशि प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

4. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनो के आधार पर, इस वाद मे निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 25.06.2021 को बनाए गये थे :

1. Whether the deceased was a bonafide passenger of the alleged train at the relevant time?

2. Whether the deceased died as a result of an untoward incident due to a fall from the passenger carrying train and whether the present case is covered under the definition of Section 123 (c) (2) of the Railway Act, 1989?

3. Whether the applicants are the sole dependents of the deceased and are entitiled to compensation as claimed under Para-16 of the claim application?

5. Relief ?

5. दावा याचिका के समर्थन मे प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 नरेश शाह ने अपना शपथ पत्र (एडब्ल्यू –1) मुख्य परीक्षण के रूप मे प्रस्तुत किया। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थिया से दिनांक 05.09.2022 को प्रतिपरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया की ओर से इस दावे के समर्थन मे, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये है।

Scanned with OKEN Scanner

क.स.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति थानाधिकारी, जीआरपी, कोटा द्वारा मेडिकल ज्यूरिष्ट एमबीएस अस्पताल, कोटा को लिखा पत्र	प्रदर्श–ए 1
2.	प्रमाणित प्रति मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श–ए 2
3.	प्रमाणित प्रति फर्द एस.एस. कोटा द्वारा जीआरपी कोटा को लिखा पत्र	प्रदर्श–ए 3
4.	प्रमाणित प्रति नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श–ए 4
5.	प्रमाणित प्रति फर्द सूरत हाल लाश व पंचायतनामा	प्रदर्श–ए 5
6.	प्रमाणित प्रति फर्द शिनाख्तगी लाश	प्रदर्श–ए 6
7.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुदर्गी लाश	प्रदर्श–ए 7
8.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श–ए 8
9.	प्रमाणित बयान अब्दुल करार, सुनीता देवी, रूपेश, बीरबल शाह, राजीव कुमार, दीपक, कुन्दन कुमार	प्रदर्श–ए 9 से 15
10.	प्रमाणित प्रति पहचान पत्र मृतक	प्रदर्श–ए 16
11.	प्रमाणित प्रति आधार कार्ड	प्रदर्श–ए 17
12.	प्रमाणित प्रति सरपंच, ग्राम कचहरी, द्वारा जारी पत्र	प्रदर्श–ए 18

6. श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री भूप सिंह यादव, उप निरीक्षक,स्टेशन बारां कोटा मंडल, का शपथ पत्र (आर डब्ल्यू –1) मुख्य परीक्षण के रूप मे प्रस्तुत किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने श्री अशोक कुमार यादव, से दिनांक 13.10.2022 को प्रतिपरीक्षण किया गया एवं जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की गई डी.आर.एम. रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में अंकित कर साक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है।

7. अधिकरण के द्वारा पारित आदेश के तहत न्यायालयीन साक्षी उप निरिक्षक, जीआरपी, पुलिस, राजस्थान को समन जारी कर उसका परिक्षण दिनांक 22.04. 2025 को न्यायालय द्वारा किया गया। प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण करने से इंकार किया गया।

8. प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष मे कथित किया है। जीआरपी कोटा की पुलिस कार्यवाही मे मृतक के पास से कोई वैध रेल यात्रा टिकिट नही मिला है, और ना ही वादी श्रीमति सुनीता देवी ने अपने वाद आवेदन मे रेल यात्रा से सम्बधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। वर्णित गाडी के गार्ड श्री

Scanned with OKEN Scanner

सगित मजूमदार के बयान अनुसार गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान गाडी मे किसी भी प्रकार का झटका या जर्क आदि नही लगना एव गाडी मे कोई एसीपी इत्यादि नही होना और ना ही किसी यात्री के गिरने की सूचना गार्ड को किसी के द्वारा नही दी गई. उक्त घटना गार्ड की जानकारी मे नही है। गार्ड द्वारा वर्णित गाडी का चार्ज गार्ड श्री वीरेन्द्र सिंह चंदेल मुख्यालय कोटा को खैरियत से दिया। उक्त घटना के संबध मे डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे ईरेगुलर रेस्पिरेशन, हेड इजरी, चेस्ट इंजरी के कारण मृत्यु होना दर्शाया है। मृतक रविकेश उर्फ रिक्की की मृत्यु गाडी नं0 12475 (सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस) से हुई है इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नही है। मृतक ने घटना को मृत्युदायक नही समझा अपने जीवन को खतरे में डालकर लापरवाही पूर्वक उक्त घटना कारित हुई है। अतः स्पष्ट साक्ष्य या चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति मे घटना धारा–123 (ग) रेल अधिनियम की श्रेणी मे नही आती है।

9. प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

वाद विषय : 01 व 02

सुविधा के दृष्टिकोण से एवं तथ्यों की पुनरावृति न हो जिस कारण से वाद विषय क्रमांक 1 व 2 पर एक साथ विचारण किया जा रहा है।

10. दावा याचिका के अभिवचनो को प्रमाणित करने बावत प्रार्थिया सुनीता देवी ने स्वयं का शपथ पत्र एडब्ल्यू–1 के रूप में साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने दावा याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये कथित घटना उल्लेखित कर कथित किया की उसका पुत्र दिनांक 04.09.2019 को अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्सप्रेस मे कर रहा था व जब उक्त गाडी कोटा रेलवे स्टेशन कि. मी. नम्बर 920/12 के पास से गुजर रही थी तब मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस जाते समय गाडी से नीचे गिर गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरिक्षण के दौरान साक्षी ने कथित किया है कि घटना की जानकारी मुझे मोबाइल द्वारा पुलिस ने दी थी, मैं मोके पर नही गई थी व मेरे पुत्र के पास टिकिट था। इस साक्षी ने प्रतिप्रार्थी के इस तथ्य को प्रतिपरिक्षण मे गलत कहा है

Scanned with OKEN Scanner

कि उक्त घटना मेरे बेटे की ट्रैन से रनओवर होने के कारण घटित हुई है। साक्षी के प्रतिपरिक्षण मे ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया की जिससे इस साक्षी के कथनो पर अविश्वास किया जा सके।

मृतक ग्राम बाभन गाव, वार्ड सं-6, जिला- खगडिया, (बिहार) का निवासी होना पाया गया है एवं घटना के समय अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा करना दर्शाया गया है एवं उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे कोटा रेलवे स्टेशन के पूर्व पाया गया है। उक्त स्थान एक ऐसा स्थान है जहां मृतक के स्वयं किसी साधन से पहुँचने की सम्भावना ना के बराबर है। ऐसी स्थिति मे इस बात की एक स्पष्ट धारणा की जा सकती है कि मृतक अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन के पूर्व चलती ट्रैन से गिरा था।

घटना के संबंध में दिनांक 04.09.2019 को 23:15 बजे स्टेशन अधीक्षक, कोटा के द्वारा जीआरपी, कोटा को मेमो प्रदर्श- ए 3 जारी किया है जिसमे कथित किया गया है कि डाउन मालगाडी के एल.पी. ने वीएचएफ सेट पर सूचना दी है कि कि.मी. 920/12 डाउन लाईन के पास डैडबॉडी पडी है उचित कार्यवाही करे। नक्शा मौका प्रदर्श- ए 4 मे मृतक का शव डाउन लाईन के किनारे दर्शाया गया है। जीआरपी द्वारा अन्वेषण के दौरान लाश पंचायतनामा प्रदर्श- ए 5 तैयार किया गया जिसमे पचो के द्वारा मृतक की मृत्यु ट्रैन से गिरने व शरीर पर आई चोटो के कारण दर्शाया गया है व मृतक के शरीर मे उसकी दाडी के नीचे गहरी चोट व जगह-जगह रगड व कालिख के निशान होना लाश पंचायतनामा मे उल्लेखित किया गया है। शव परिक्षण रिपोर्ट प्रदर्श- ए 8 में भी शरीर पर फटे हुये घाव एवं खरोंच के निशान होना दर्शित कर मृतक की मृत्यु का कारण अनियमित श्वशन जोकि सिर की चोट व छाती की चोट से होना दर्शित किया गया है। स्टेशन मास्टर के मेमो के अनुसार मृतक का शव 23:15 बजे सूचना प्राप्त हो के बाद जारी किया जाना दर्शित है एवं सर्वोदय एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर 22:20 बजे आकर 22:30 बजे प्रस्थान किया जाना डीआरएम रिपोर्ट के साथ सलग्न चार्ट मे दर्शित है जिससे स्पष्ट होता है कि मृतक का शव उक्त ट्रैन के जाने के पश्चात ही पाया गया है। अतएव उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भी मृतक की मृत्यु ट्रैन से गिरने से आई चोटो से होना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

प्रतिप्रार्थी के साक्षी अशोक यादव, उपनिरिक्षक, रेलवे स्टेशन बारा, मंडल कोटा की साक्ष्य से घटना के संबध मे कोई स्पष्टता नही मिलती है इस साक्षी के

द्वारा मात्र संभावना के आधार पर मृतक का रनओवर होना कथित किया है। न्यायालनीय साक्षी सीडब्ल्यू-1 अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसे जॉच के दौरान उसे कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नही मिला परंतु उसके द्वारा पचो के एवं मृतक की माँ श्रीमती सुनीता देवी के बयान लिये गये। इस साक्षी ने यह भी कथित किया है कि उसने अंतिम जॉच प्रतिवेदन मे लेख किया है कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रैन से गिरने से शरीर पर आई चोट के कारण हुई है।

प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा भी बहस के दौरान कथित किया है कि घटना के संबंध मे कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है जिस कारण से अनापेक्षित घटना सिद्ध नही होती है। प्रतिप्रार्थी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नही है कि क्योकि प्राथिया के साक्षी के द्वारा शपथ पत्रिय साक्ष्य मे घटना को सिद्ध किया गया है एवं घटना पुलिस के द्वारा अन्वेषण के द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजो से भी सिद्ध होती है।

इस संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar*, (2008) 9 SCC 527** में निर्धारित किया है कि :-

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दो के यदि दो अर्थ निकलते है तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उददेश्य

Scanned with OKEN Scanner

हेतु उक्त विधान को निर्मित किया एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उद्देश्य सफल हो सके।

प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा बहस मे यह भी कथित किया है कि आरोपित घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा (क) के उपखण्ड (ख) एवं (ग) की श्रेणी की होने से अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नही आती है, जिस कारण से रेलवे प्रशासन क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी नही है। प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नही है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के मामले में निर्धारित किया है कि

"...........Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de- boarding a train will be an 'untoward incident' entiting a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 124 (क) के अपवाद (ख) "स्वयं को पहुचाई गई क्षति" के संबंध में निर्धारित किया है कि –

"...........the concept of "self-inflicted injury" would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree. Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on "no fault theory". We may in this connection refer to the judgment of this Court in *United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar* [*United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar*, (2019) 12 SCC 398: 2017 SCC OnLine SC 1443: (2017) 13 Scale 652] laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on "no fault theory" under Section 163-A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an "untoward incident" entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124-A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह भी निर्धारित किया है कि :-

"...........In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टान से स्पष्ट है कि "स्वयं को पहुचाई गई क्षति" व "स्वयं का अपराधिक कृत्य" को प्रमाणित किये जाने बाबत मृतक का आशय अथवा अपराधिक दुराशय प्रमाणित किया जाना आवश्यक है परंतु प्रतिप्रार्थी के द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि घटना मे मृतक का स्वय को क्षति पहुचाने का कोई आशय अथवा अपराधिक दुराशय रहा है एवं घटना धारा 124 (क) के अपवाद (ख) व (ग) मे आती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के प्रकरण मे निर्धारित किया है कि :–

Mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which cliam for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Intial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found.

प्रार्थिया के द्वारा अपने शपथ पत्र मे मृतक के द्वारा द्वितीय श्रेणी का साधारण टिकिट कय कर यात्रा करना एवं घटना के दौरान यात्रा टिकिट गुम हो जाना व्यक्त किया है एवं यह भी कथित किया है कि मृतक का पर्स एव बैग भी घटना कम मे नही मिला एवं मृतक घटना दिनांक को यात्री गाडी में एक वैध यात्री था। अनापेक्षित घटना में जहां पर मृतक के शरीर पर चोटे आई है एव उसे घटनास्थल से पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाया गया व अस्पताल मे उसका शव परिक्षण किया गया। इस पूरे घटनाक्रम मे टिकिट गुम हो जाने की सम्भावना से इकार नही किया जा सकता। माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने भी उपरोक्त प्रकरण मे यह निर्धारित किया है कि मात्र टिकिट ना मिलने से यह नही माना जा सकता है कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री नही था। रेलवे प्रशासन द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है कि जिससे यह सिद्ध हो की मृतक घटना के समय बिना यात्रा टिकिट के यात्रा कर रहा था। अतएव मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर मै यह निर्धारित करता हूँ कि दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स. के साधारण डिब्बे मे कर रहा था, जब उक्त गाडी कोटा रेलवे स्टेशन के पास कि.मी. संख्या 920/12 के पास से गुजर रही थी, तो मृतक उक्त चलती गाडी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अतएव मृतक घटना के समय धारा 2 (29) रेलवे अधिनियम मे परिभाषित अनुसार सदभावी यात्री था व कथित घटना धारा 123 (सी) (2) व 124 ए रेलवे अधिनियम के तहत अनापेक्षित घटना की श्रेणी मे आती है, जो उक्त धारा उल्लेखित अपवादो की श्रेणी की नही है। अतएव वाद विषय कमांक 1 व 2 प्रार्थिया के पक्ष व प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है।

विवाधक संख्याः 03

11. प्रार्थिया मृतक की माता है उक्त आशय के कथन प्रार्थिया ने अपने शपथ पत्र मे कथित किये है एव उसने यह भी कथित किया है कि वह मृतक पर पूर्णता आश्रित थी उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है व उसका पुत्र रविकेश अविवाहीत था। प्रतिप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त तथ्यो के सबध मे कोई विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है एवं दावा याचिका के लम्बन रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वय को मृतक का आश्रित होना नही बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के द्वारा स्वय के आधार कार्ड प्रदर्श ए 7 एवं सरपच ग्राम कचहरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि मृतक प्रार्थिया का पुत्र था। प्रार्थिया धारा 123 बी रेलवे अधिनियम के तहत आश्रित की श्रेणी मे आती है। अतएव वाद विषय कमाक 3 उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्याः 04

12. मृतक श्री रविकेश घटना दिनांक 04.09.2019 को सदभावी यात्री के नाते अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स. के साधारण डिब्बे से यात्रा के दौरान अनापेक्षित घटना मे ट्रेन से गिर कर मृत हुआ जिस कारण से मृतक की एक मात्र आश्रित उसकी माता प्रार्थिया रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि रूपये 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र) रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के पार्ट एक मे उल्लेखित अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

है।प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब प्रार्थिया की ओर से कारित किया गया है जिस कारण से घटना दिनांक से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित नही है। अतएव प्रार्थिया उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि रूपये 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र) पर दावा पुर्नस्थापित दिनांक 28.02.2024 से अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय कमांक 04 निर्णित किया जाता है।

आदेश

ORDER

13. यह दावा प्रार्थिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थिया को रू 8,00,000/- (रू आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया को दावा पुर्नस्थापित दिनाक 28.02.2024 से मुआवजा राशि के अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है।

प्रार्थिया का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एन्यूटी / सावधि राशि
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री नरेश शाह	रू 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र)	रू 80,000/- (रूपये अस्सी हजार मात्र) सम्पूर्ण ब्याज राशि	रू 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रुपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।

14. प्रतिप्रार्थी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, जयपुर के स्युटर मनी (Suitor Money) एकांउट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिप्रार्थी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर. नंबर, ब्याज की गणना सहित

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदक को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

15. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :–

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."

16. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है:–

"5. Mode of Payment-

Scanned with OKEN Scanner

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracu or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mads as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exisgencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

17. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण चरण कमांक 13 में उल्लेखित अनुसार किया जावे।

18. प्रार्थिया को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

19. यदि प्रार्थिया टीडीएस कटौती की छूट का हकदार है तो वह फार्म–15जी या फार्म15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति मे मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

20 जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाये–

1. प्रार्थिया के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी सयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।

2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थिया की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नही होगा।

3. बैंक प्रार्थिया को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/ केडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

4. बैंक प्रार्थिया की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्रार्थिया को चेक बुक या डबिट कार्ड/केडिट कार्ड जारी नही किये गये है और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नही किये जायेगा। प्रार्थिया उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

21. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबध मे कोई आदेश नही दिया जाता है।

दिनांक 14.08.2025 को अधिघोषित किया गया ।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ

Scanned with OKEN Scanner